


परिशिष्ट-पत्र

योजना का नाम :- तेरीभाग (कुदानव) भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, लखनऊ।
ग्राम का नाम :- बरौली खतोलाबाद, परगना-बिजौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 व निवृत्त योजना संख्या-372/भूआ-2-1105 (योजना) दिनांक 27/2/04 उपरोक्त प्रकाशन दिनांक 01/4/04 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या- 970/9-आ-2-2004-5 एफ0बी0/2002, लखनऊ, दिनांक 21/07/2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 200 हेक्टेयर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्न प्रकार है, आज दिनांक 09 जून, 2006 प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ जरि अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, कुदानव लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		अन्य विवरण
		हेक्टेयर	मी०-मी०-मी०	
बरौली खतोलाबाद	380 मि०	0-063	0-5-0	
	382 मि०	0-013	0-1-0	
	383/1 मि०	0-126	0-10-0	
	384	0-101	0-8-0	
	385	0-013	0-1-0	
	386	0-076	0-6-0	
	387	0-406	1-12-0	
	388/2	0-051	0-4-0	
	389	0-152	0-12-0	
	390	0-202	0-16-0	
	392	0-354	1-8-0	
	393	0-076	0-6-0	
	394/1	0-889	4-6-0	
	394/2	0-089	शान्ति 394/1	
	395	0-126	0-10-0	
	396	0-329	01-6-0	
	397	0-278	1-2-0	
	398	0-049	0-3-18	
	399	0-005	0-0-8	
	400	0-202	0-16-0	
401	0-136	0-10-19		
402	0-005	0-0-8		
403	0-095	0-7-10		



[Handwritten signature]

(3)

444	0-013	0-1-0
445	0-038	0-3-0
446	0-076	0-6-0
447	0-038	0-3-0
448	0-051	0-4-0
449	0-468	1-17-0
450	0-101	0-8-0
451	0-051	0-4-0
462	0-076	0-6-0
453	0-038	0-3-0
464	0-038	0-3-0
455	0-202	0-16-0
456	0-089	0-7-0
457	0-088	0-7-0
458	0-025	0-2-0
459	0-076	0-6-0
472	0-226	0-18-0
474	0-053	0-5-0
475	0-101	0-8-0
476	0-266	1-1-0
477	0-354	1-0-0
478	0-101	0-8-0
479	0-038	0-3-0
480	0-152	0-12-0
481	0-025	0-2-0
510	0-025	0-2-0
511	0-278	1-2-0
638	0-013	0-1-0
641	0-051	0-4-0
643	0-163	0-13-0
731	0-044	0-3-10
723	0-316	01-5-0
738	0-759	3-0-0



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

Handwritten line and number '4' at the bottom right of the table.

(5)

1132	0-191	0-15-1	
1133	0-114	0-0-0	
1036	0-038	0-3-0	
1027	0-063	0-5-0	
1074	0-088	0-7-0	
1191	0-264	1-0-10	
1241	0-240	0-19-0	
1242	0-190	0-15-0	
1244	0-379	1-10-0	
1251	0-013	0-1-0	
1252	0-278	1-2-0	
1255	0-051	0-4-0	
1310 स	0-038	0-3-0	

योग :- 18-900 हेक्टेयर

उपरोक्त भूमि के कास्टाकार को रांग-बहार एवं फराल को पकाने पर उक्त लेने की अनुमति दी जाती है, अर कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेवने का अधिकार न होगा।

उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर-प्रदेश आगारा एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निगम) को आज दिनांक 09 जून, 2005 को हस्तांतरित किया गया, मौजूद परिसंपत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

इस सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मंदिर, गरीबद व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा बना जाये।

कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अधीन

जिला विवेक भूमि अध्यापित अधिकारी,

उत्तर आवास एवं विकास परिषद,

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(सुनील चौधरी)

अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, आवास विकास परिषद,

लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसंपत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 09 जून, 2005 को प्राप्त किया।

प्रति हस्तांतरित

(मिश्री लाल पारसवान)

अपर जिलाधिकारी (मुद्रण)

उत्तर आवास एवं विकास परिषद,

कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रति हस्तांतरित

(एम. एन. वर्मा)

प्रभारी अधिशाही अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-3, आवास विकास परिषद,

लखनऊ।


परिग्रह-पत्र

परिग्रह का नाम :- तेलीबाग (मुन्दावन) ग्रामी विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, लखनऊ।

परिग्रह का नाम :- हरीली खलीलाबाद परगना-बिजनौर, सहलील व जिला-लखनऊ।

उक्त 290 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना (2004) 2-1105 (योजना) दिनांक 27-2-2004 सं090 गजट प्रकाशन दिनांक 27-2-2004 के क्रम में शासन की विज्ञापित संख्या 970/9-आ-2-2004-5 एच0बी0/2002 दिनांक 21-7-2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा चुकी 26.526 हेक्टेयर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्न प्रकार है, आज दिनांक 27-2-2004 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ सदिये सहायक अभियंता, निर्माण विभाग, मुन्दावन योजना, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्य विवरण
	2	3	4
उलीलाबाद	391	0.531	
	413	0.063	
	424	0.089	
	430	0.266	
	433	0.048	
	460	0.003	
	461	0.076	


कमरा2/-

2	3	4
462	0.063	
463	0.025	
464	0.063	
465	0.063	
466	0.063	
467	0.089	
468	0.038	
469	0.058	
470	0.034	
471	0.010	
473	0.089	
482	0.139	
483	0.202	
484	0.139	
485	0.008	
486	0.126	
487	0.089	
488	0.152	
489	0.278	
490	0.759	
491	0.101	

[Handwritten signature]

उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (प्रवर्तन निकाय) को आज दिनांक 17-01-2008 को हस्तान्तरित किया गया, मैनूर परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
नए सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्र, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।


(कौशलकेशोर)

अमीन

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 17/01/2008 को प्राप्त किया।

(सुनील चौधरी)

अवर अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

(अमिताभ प्रकाश)

अपर जिलाधिकारी (गृ०आ०)

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(एस० एन० वर्मा)

सहायक अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

(शकील अहमद)

अधिराशी अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

परिच्छेद-पत्र

1- योजना का नाम : दोतीशान कृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली परिवग, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 मुद्रा-2-1105 (योजना) दिनांक 21/02/2004 उपरोक्त पत्र प्रकाशन दिनांक 03/04/2004 के क्रम में शासन की विज्ञापित संख्या-910/8/आ-2-2004-5 एच0पी0/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली परिवग चक्रवर्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित पत्र संख्या-33 व 55 का शासनपत्र संख्या-1808/8-2-2007-5एमपी0/2002 दिनांक 18.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञापित संख्या- 1686/एचएमपी0/एमपी0 दिनांक 07.07.2008 की संशोधित पत्र प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 गुण अध्यापित अधिनियम से अधिलेखित की जा रही भूमि का **बचत आत्र दिनांक 01/01/2008** को उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को अधिलेखित/साक्ष्यक अधिकांता निर्माण संख्या-1/2008 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को अस्तानारित किया जाता है।

विभागाध्यक्षपरगनाजिला:-

ग्राम-कल्ली परिवग	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	अन्य विवरण :-
	927	0.024	
	929	0.329	
	931	0.118	
	932	0.076	
	933	0.031	
	934	0.031	
	935	0.033	
	936	0.022	
	937	0.057	
	938	0.095	
	939	0.016	
	940	0.021	
	944	0.031	
	949	0.034	
	950	0.126	
	951	0.120	
	952	0.145	
	953	0.139	
	954	0.158	
	955	0.006	
	957	0.028	
	958	0.057	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	1119	0.627	
	1121	0.588	
	1122	0.634	
	1125	0.644	
	1136	0.456	
	1138	0.224	
	1139	0.152	
	1140	0.177	
	1141	0.347	
	1142m	0.060	
	1143	0.0026	
	1146	0.139	
	1147	0.316	
	1149	2.387	
	1150m	0.107	
	1150	0.876	
	1150	0.759	
	1150	0.051	
	1150	5.217	
	1150	0.177	
	1150	0.676	
	1150	0.253	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	1.391	
	1150	0.253	
	1150	3.781	
	1150	0.632	
	1150	0.316	
	1150	0.253	
	1151	0.061	
	1152	0.089	
	1153	0.086	
	1154	0.041	
	1155	0.060	
	1156	0.038	
	1161	0.006	
	1273	0.589	
	1273	0.082	

Spic

Rao

Das

Red

1052	0.038	
1053	0.041	
1054	0.161	
1055	0.069	
1056	0.135	
1059	0.446	
1060	0.271	
1061	0.950	
1064	0.487	
1066	0.114	
1067	0.004	
1070	0.910	
1075	7.770	
1077	0.197	
1080	0.026	
1082	0.522	
1084	0.400	
1088	0.253	
1088m	0.126	
1089m	0.114	
1089m	0.104	
1090	0.253	
1091m	0.063	
1091m	0.283	
1092	0.012	
1093	0.013	
1094	0.067	
1096	0.214	
1098	0.272	
1100	0.116	
1101	0.209	
1102	0.144	
1103	0.200	
1105	0.126	
1110	0.391	
1112	0.207	
1113	0.469	
1115	0.927	
1116	0.079	
1117	0.272	
1118	0.050	

Spice

*kill
Amphibian*

VF

Sheep



उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

(जईएन.नं. 9001/2000 प्रकल्पित संस्था)
भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ



क-237/एल०ए०सी०/एच०ए०पी०-पत्रावली संख्या-

दिनांक 27-2-12

नोटिस

(उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38 के अन्तर्गत नोटिस)

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा 'भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 (बुन्दारन) लखनऊ' बनायी गयी है। इस योजना के लिए परिषद अधिनियम 1965 की धारा 28 के अधीन नोटिस का यह प्रकाशन उ० प्र० गजट में दिनांक 04.12.89 को किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 28/29 की कार्यवाही के उपरान्त परिषद द्वारा इस योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जा चुका है तथा परिषद अधिनियम की धारा 31(2) की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन विज्ञप्ति दिनांक 03.04.04 को उ० प्र० राजकीय गजट में प्रकाशित की है। प्रसंगत योजना के संबंध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिरूचना दिनांक 21.07.2004 को शासन द्वारा निर्गत की गयी। उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम में ककड़न्दी होने के फलस्वरूप तत्समय भूमि का कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका। उक्त ग्राम में ककड़न्दी कृपा पूर्ण होने के पश्चात पुराने खसरा नम्बर नये खसरा नम्बरों में परिवर्तित हो जाने के कारण परिषद अधिनियम 1965 की धारा-33 व 55 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1608/आठ-2-2007-5एम्सबी०/2007 दिनांक 18.08.2007 द्वारा दी गयी स्वीकृति के उपरान्त पुराने खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बरों पर संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 को कराया गया तदोपरान्त जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम की भूमि को करार नियमावली के अन्तर्गत समझौते द्वारा लिये जाने हेतु प्रतिकर दर रु० 13.50 लाख प्रति बीघा के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुति के संबंध में मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के पत्र संख्या-1431/दिनांक 11.08.2010 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिसके क्रम में उक्त ग्राम की अधिकांश भूमि का कब्जा करार नियमावली के अन्तर्गत किसानों से परिषद द्वारा प्राप्त किया जा चुका है तथा अवशेष भूमि का भी कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत यह नोटिस आपको सूचना हेतु भेजी जा रही है कि परिषद की उपरोक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि को परिषद की उपरोक्त योजना के प्रयोजन हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की 18.902 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि जिसका विवरण संलग्न है, को एतद्वारा परिषद अपने कब्जे में लेती है और उक्त भूमि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिषद में निहित समझी जायेगी।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(2) के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग जैसी भी स्थिति हो परिषद द्वारा तब तक रखी जायेगी, जब तक धारा 41 के अधीन



104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ (226001) / 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow (UP)
दूरभाष-0522-2230741, 2230711, 2237723, 2236635, फैक्स-2231099
ई-मेल / upavp@sancharnet.in वेबसाइट / www.upavp.com




Letter Pad & doc
AGI / SECT / Sanchar

1091	0.022	सहायक
1097	0.187	सहायक
1099	0.016	सहायक
1101	0.025	सहायक
1105	0.098	सहायक
1108	0.216	सहायक
1109	0.054	सहायक
1114	0.101	सहायक
1120	0.044	सहायक
1121 B	0.380	सहायक
1124	0.011	सहायक
1127	0.019	सहायक
1128	0.036	सहायक
1121	0.006	सहायक
1132	0.041	सहायक
1135 B	0.013	सहायक
1137 B	2.888	सहायक
1137 B	0.265	सहायक
1138 B	0.835	सहायक
1147 B	0.009	सहायक
1148	0.329	सहायक
1500	0.046	सहायक
1511	0.411	सहायक
1516	0.443	सहायक
1518 B	2.757	सहायक
1524	0.063	सहायक
1150 B	0.676	सहायक
योग	18.902	सहायक


अवर अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिरासी अभियन्ता

उत्ते स्थान या उसके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी (नगर निगम) में पुनर्निहित न हो जाय।
भी प्रतिकर परिषद द्वारा स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) को देय नहीं होगा। इस प्रकार धारा
गत स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) में पुनर्निहित हो गयी भूमि के शब्द उपरोक्त भूमि के अवरोध
उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई देय हो तो नगर निगम को भुगतान किया जायेगा।

का विवरण

स
लखनऊ।

(डा० पी०वी० जगनमोहन)
आवास आयुक्त

धन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

लाभिकारी, लखनऊ को संलग्न सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।

रीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ।

वैशाखी अभियन्ता, नि०ख०-११३-५०आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके प०सं० २१७
नाक ०७/०२/१२ के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में उल्लिखित खसरो की
में का नगर निगम लखनऊ से कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें तथा इस भूमि का अमल दरामद
रेषद पक्ष में कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

सुपरीकृतानुसार

आवास आयुक्त